



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक- 08.08.2026

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री अंकुर अग्रवाल द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण के दृष्टिगत अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही एवम् वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस को निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री दुर्गेश कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सिधौली श्री विशाल गुप्ता के नेतृत्व में थाना रामपुरकलां पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 105/2026 धारा 2/3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना रामपुर कलां में वांछित चल रहे अभियुक्त मोहम्मद समीर पुत्र अजमत अली निवासी ग्राम मझिगंवा कलां थाना रामपुरकलां जनपद सीतापुर को टेढ़वा मोड़ के पास से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, इसके विरुद्ध पूर्व में गिरोह बनाकर विभिन्न आपराधिक कृत्यों- मारपीट/चोरी/नकबजनी जैसे धाराओं में पूर्व में भी अभियोग थाना स्थानीय में पंजीकृत हैं। अभियुक्त द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति का पता लगाकर जब्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी। जनपद में अपराध/ अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही निरन्तर इसी प्रकार प्रचलित रहेगी।

अभियुक्त का नाम/पता:- मोहम्मद समीर पुत्र अजमत अली निवासी ग्राम मझिगंवा कलां थाना रामपुरकलां जनपद सीतापुर

अभियोग का विवरण:- मु0अ0सं0 105/2026 धारा 2/3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना रामपुर कलां सीतापुर

पुलिस टीम थाना रामपुर कलां-

- 1.थानाध्यक्ष श्री लल्ला गोस्वामी
- 2.उ0नि0 ओमप्रकाश सिंह
- 3.का0 अमित यादव
- 4.का0 सुरेन्द्र
- 5.रि0का0 हर्षित

आपराधिक इतिहास अभियुक्त समीर उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 309/25 धारा- 305(e)/317(2)/331(4) BNS थाना रामपुरकलां जनपद सीतापुर
2. मु0अ0सं0 310/25 धारा-305(e)/317(2)/331(4) BNS थाना रामपुरकलां जनपद सीतापुर
3. मु0अ0सं0 008/26 धारा- 305(a)/317(2)/331(4) BNS थाना रामपुरकलां जनपद सीतापुर
4. मु0अ0सं0 493/25 धारा 317(2) वीएनएस व 35(1) वीएनएस थाना बिसंवा जनपद सीतापुर

